प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

"INVESTIGATION OF ECONOMIC OFFENCES''
Course for S.I. to Dy. S.P."

दिनांक **25-03-2019** से **29**-03-2019

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 25-03-2019 से 29-03-2019 तक **"INVESTIGATION OF ECONOMIC OFFENCES"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकादमी के निदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी, आई॰पी॰एस॰ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 21 प्रतिभागियों जिसमें 04 पुलिस निरीक्षक, 01 कम्पनी कमाण्डर, 15 उप निरीक्षक 01 प्लाटून कमाण्डर ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डॉ. सुमन राव, एपीपी ने गंभीर आर्थिक अपराधों में अभियोजन पक्ष के लिए 406, 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में श्री राकेश अग्रवाल, एसएसओ, एफएसएल, जयपुर ने दस्तावेज़ परीक्षा, विवादित लिखावट, हस्ताक्षर और दस्तावेजों की पहचान के संबंध में विस्तृत रूप से बताया। प्रथम दिन के अन्तिम सत्र में श्री पांचू राम, थानाधिकारी, जायल नागौर ने मूर्ति चोरी - गैंग की केस स्टडीज के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री महेन्द्र सिंह कच्छावा, अधिवक्ता ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ वन्य जीव प्रजातियों की तस्करी

की जांच पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में श्री बिरदी चन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (से॰नि॰) ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के साथ संशोधन अधिनियम, 2019 व फर्जी स्टेम्प के मामलों पर व्याख्यान दिया। द्वितीय दिन के अन्तिम सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, अधिवक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008, साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री मिलिन्द अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट ने बैंकिग धोखाधड़ी, बैंक और कानून प्रर्वतन एजेंसियों में पारस्परिक समन्वय, वर्तमान परिवेश और ऑनलाइन बैकिंग अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान के बारे में विस्तृत रूप से बताया। तृतीय सत्र में श्री मनोज माहेश्वरी, कंपनी सचिव ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामलों के दिशानिर्देशों के साथ शेयर बाजार से संबंधित अपराधों, नकली शेयरों और ऋण पत्रों की जांच के बारे में अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री एम. एम. अत्रे, आई.जी.पी. (से॰नि॰) ने जालसाजी सम्बन्धी मामलों में, प्रथम सूचना दर्ज करना, अनुसंधान के दौरान साक्ष्य का संग्रह व आरोप-पत्र तैयार करने के दौरान पालना किये जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों सम्बन्धी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री गोपाल परिहार, उप-प्रवर्तन प्रभारी, ईडी, जयपुर ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों REIC, DRI, SDRI, FIU का परिचय, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, जिसमें बेनामी संपत्ति के मामले, संपत्ति की कुर्की, बैंक खातों की फ्रीजिंग, पुलिस द्वारा ईडी को हस्तांतरित मामलों में ईडी की भूमिका, महत्वपूर्ण वादों पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आरएस बत्रा, आरएएस (से॰नि॰) ने संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, मुख्तारनामा, वसीयत, अभिलेखों से छेड़छाड़, भूमि धोखाधड़ी, दोहरा पटटा, फर्जी एग्रीमेन्ट से संबंधित अपराधों / विवादों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 29.03.2019 को 04.00 पी.एम. पर आरपीएस व्याख्यान कक्ष में आयोजित किया गया। श्री कप्तान सिंह, पु॰नि॰ (सहायक कोर्स निदेशक) के उद्बोधन के पश्चात् प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोर्स का समापन किया गया।